# झारखण्ड विधान सभा

# झारखण्ड सिंगल विंडो क्लीयरेंस विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# झारखण्ड सिंगल विंडो क्लीयरेंस विधेयक, 2015

## (सभा द्वारा यथापारित)

विषय–सूची


प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा एवं प्रारंभ
2. जब तक संदर्भ अन्यथा न हो, इस अधिनियम में
3. Notification Of Agency (एजेंसी की अधिसूचना)
4. Governing Body (शासी निकाय)
5. Governing Body (शासी निकाय) के कार्य
6. High Powered Committee (उच्च स्तरीय समिति)
7. Functions of High Powered Committee(उच्च स्तरीय समिति के कार्य) :–
8. Single Window Clearance Committee (एकल खिडकी मंजूरी समिति)
9. Functions of Single Window Clearance Committee (एकल खिड़की मंजूरी समिति के कार्य)
10. Officers/Employees of the Agency (एजेंसी के पदाधिकारी / कर्मचारी)
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के काय
12. जिला कार्यकारिणी समिति (District Executive Committee)
13. जिला कार्यकारिणी समिति के कार्य (Functions of District Executive Committee)
14. जिला स्तरीय नोडल एजेंसी (District Level Nodal Agency)
15. जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के कार्य (Functions of District Level Nodal Agency)
16. अनुमान्य मंजूरिया (Eligible Clearances)
17. समझौता ज्ञापन (Memorandum Of Understanding)
18. वेब–पोर्टल (Web-Portal)
19. एकीकृत आवेदन प्रपत्र (CAF)
20. स्व–प्रमाणन (Self-Certification)
21. निरीक्षणों की युक्तियुक्तता (Rationalistion of Inspections)
22. तृतीय पक्ष निरीक्षण (Third Party Inspections)
23. निस्तारण की प्रक्रिया (Procedure for Disposal)
24. डीम्ड स्वीकृति (Deemed Approval)
25. अपील (Appeals)
26. शुल्क (Fee)
27. नियम बनाने की शक्ति (Power to Make Rules)
28. अभिभावी प्रभाव (Overriding effect)
29. गत्यारोध के निराकरण की शक्ति (Power to remove difficulties)
30. अर्थदण्ड (Penalty)
31. सद्भाव कृत कार्रवाई का अभिरक्षण (Protection of action taken in good faith)

# झारखण्ड सिंगल विंडो क्लीयरेंस विधेयक, 2015

## (सभा द्वारा यथापारित)

औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन के उदेश्य से विभिन्न अनुज्ञप्तियों, अनुमतियों एवं स्वीकृतियों को त्वरित एवम् समयवद्ध मंजूरी प्रदान करने, नए निवेशों को सुगम एवं सरल करने हेतु प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को कम करते हुए विनियामक ढाँचे को सरल बनाने सहज व्यापार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एवम् झारखण्ड राज्य में निवेशकोनुकूल वातावरण उपलब्ध करने हेतु एक विधेयक; एवम् यह विधेयक भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में निम्नवत् रूप से झारखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित होता है :–

### संक्षिप्त शीर्षक, सीमा एवं प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम "झारखण्ड सिंगल विंडो क्लीयरेंस ~~विधेयक~~ अधिनियम, 2015" के नाम से जाना जाएगा।

(2) यह अधिनियम पूरे झारखण्ड राज्य में प्रभावी होगा।

(3) यह अधिनियम झारखण्ड सरकार के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **जब तक संदर्भ अन्यथा न हो, इस अधिनियम में**

(1) एजेंसी का अभिप्राय झारखण्ड औद्योगिक संरचना विकास निगम (JIIDCO) है।

(2) Governing Body (शासी निकाय) का अभिप्राय धारा–4 के तहत् गठित समिति है।

(3) "अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्राय धारा–25 के अन्तर्गत शक्ति प्राप्त समिति है।

(4) "लागू अधिनियमों" से अभिप्राय है,

(क) बिहार दुकान एवम् वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1953

(ख) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956

(ग) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

(घ) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

(ड.) अनुबन्ध श्रम (रेगुलेशन व् एबोलिशन) अधिनियम, 1970

(च) ग्रेच्युटि अधिनियम, 1972

(छ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

(ज) झारखण्ड वैल्यु एडेड कर अंधिनियम, 2005

(झ) जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निषेध) अधिनियम, 1974

(ञ) वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निषेध) अधिनियम, 1981

(ट) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(ठ) बॉयलर अधिनियम, 1923

(ड) वेतन भुगतान (Payment of Wages) अधिनियम, 1936

(ढ) कारखाना अधिनियम, 1948

(ण) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

(त) बिहार विद्युत अधिनियम, 1948

(थ) झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012

या उत्तराधिकारी/संशोधित अधिनियम या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य सुसंगत/प्रासंगिक अधिनियम।

(5) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्राय है सरकार का कोई विभाग या एजेंसी, स्थानीय प्राधिकार, वैधानिक निकाय, राज्य स्वामित्वाधीन निगम, पंचायती राज संस्थाएँ, नगरीय स्थानीय निकाय या किसी अधिनियम या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत गठित या स्थापित कोई अन्य प्राधिकार या एजेंसी जिसके पास राज्य में एक (व्यापारिक) प्रतिष्ठान स्थापित करने अथवा संचालित करने के लिए अनुमति प्रदान या जारी करने की शक्ति एवं जवाबदेही है।

(6) "मंजूरी" का अभिप्राय है झारखण्ड राज्य में उद्यम/प्रतिष्ठान स्थापित करने के संबंध में किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र, आवंटन, सहमति, स्वीकृति, अनुमति, निबंधन, नामांकन, अनुज्ञप्ति जारी/प्रदान करना एवम् इसके अन्तर्गत सम्मिलित होगें वैसे सारे अनुमति जो प्रचलित अधिनियमों के अन्तर्गत आवश्यक हैं।

(7) "विभाग" से अभिप्राय है झारखण्ड सरकार का विभाग।

(8) "जिला कार्यकारणी समिति" का अभिप्राय है धारा–12 के तहत् गठित समिति।

(9) "जिला स्तरीय नोडल एजेंसी" का अभिप्राय है धारा–14 के तहत् निर्दिष्ट एजेंसी।

(10) "उद्यमी " से तात्पर्य है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय/समूह या एक कम्पनी, जो (किसी एक) उद्यम में अधिकांश निवेश या नियंत्रण में रुचि रखता है या रखने का प्रस्ताव करता हो और जो निवेश का प्रस्ताव लाता हो।

(11) "सरकार" से अभिप्राय है झारखण्ड सरकार।

(12) "High Powered Committee" से अभिप्रेत है धारा–6 के तहत् गठित समिति.,

(13) "औद्योगिक नीति" से तात्पर्य है झारखण्ड औद्योगिक नीति या झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य क्षेत्र विशेष नीति अथवा केन्द्र या राज्य (झारखण्ड) सरकार की वैसी योजनाएँ जिन्हें औद्योगिक संवर्द्धन हेतु समय–समय पर अधिसूचित किया गया हो।

(14) "अधिसूचना" का तात्पर्य है झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं अधिसूचित शब्द का परिप्रेक्ष्यानुरूप अभिप्राय.,

(15) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के तहत् प्रावधानित नियम तथा इस अधिनियम को लागू करने हेतु प्रचलित अधिनियमों के तहत बनाए गए नियम.,

(16) "Web – Portal" से आशय है एजेंसी द्वारा संधारित वेब पोर्टल.,

## 3. Notification Of Agency (एजेंसी की अधिसूचना)

*एजेंसी की अधिसूचना*

झारखण्ड सरकार, राज्य में नए निवेशों के लिए Single Window तथा औद्योगिक सरलीकरण को सचिवालय समर्थन प्रदान करने हेतु "झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (जिडको)" को अधिसूचित करेगा।

## 4. Governing Body (शासी निकाय)

*शासी निकाय*

(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक Governing Body (शासी निकाय) का गठन किया जाएगा।

(2) धारा–4.1 के तहत् गठित Governing Body (शासी निकाय) में अध्यक्ष एवं निम्न सूचित सदस्य होंगे :–

| | सदस्य | पदनाम |
|---|---|---|
| (क) | माननीय मुख्यमंत्री | अध्यक्ष |
| (ख) | उद्योग मंत्री | उपाध्यक्ष |
| (ग) | वित्त मंत्री | सदस्य |
| (घ) | राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री | सदस्य |
| (ड.) | मुख्य सचिव | सदस्य |
| (च) | प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग | सदस्य सचिव |
| (छ) | राज्य सरकार द्वारा मनोनित अन्य नामित, यदि कोई हो | सदस्य |

(3) अपने कार्यों के समुचित एवं प्रभावी निर्वहन हेतु यदि आवश्यक हो तो Governing Body (शासी निकाय) किसी दो विशेषज्ञ सदस्य को सहयोजित कर सकता है।

## 5. Governing Body (शासी निकाय) के कार्य

*(शासी निकाय) के कार्य*

राज्य सरकार के समग्र नियंत्र एवं पर्यवेक्षणाधीन रहते हुए Governing Body (शासी निकाय) इस अधिनियम के तहत् समग्र नीति मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देश प्रदान करेगा।

(1) Governing Body (शासी निकाय) अपने प्रभावी कार्य संचालन के लिए आवश्यक Single Window मंजूरी एवं उद्योग सरलीकरण हेतु रणनीति दिशा और मार्गदर्शन तय करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) Governing Body (शासी निकाय) द्वारा पारित आदेश एवं लिए गए निर्णय सभी सरकारी विभाग, प्राधिकार तथा एजेंसी के लिए अंतिम एवं मान्य होगा एवं ऐसे विभाग, प्राधिकार और एजेंसी निर्धारित समय–सीमा के अंदर अपेक्षित मंजूरी एवं अनुमति जारी करेंगे, वशर्ते निवेशक/आवेदक द्वारा प्रचलित अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों एवं राज्य/केन्द्र सरकार के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) इस नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए Governing Body (शासी निकाय) "High Powered Committee" एवं Single Window मंजूरी समिति को अपने कार्य/शक्ति प्रदान कर या वापस ले सकती है।

(4) Governing Body (शासी निकाय) की बैठकें अपने कार्यों को पूर्ण करने के निमित आवश्यकता अनुरुप आहूत की जाएगी, किन्तु "High Powered Committee" एवं Single Window मंजूरी समिति के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा एवं जहाँ आवश्यक हो, वहाँ आवश्यक अनुशंसा प्रदान करने हेतु हर वर्ष कम से कम दो बार निकाय की बैठकें उस जगह आहूत की जाएगी जो निकाय के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(5) Governing Body (शासी निकाय) "High Powered Committee" तथा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर विचार कर उचित निर्णय ले सकता है।

(6) Governing Body (शासी निकाय) वृहत एवं अति वृहत उद्योगों के लिए यथा विहित वित्तीय उत्प्रेरण (Incentives) पैकेज के अनुमोदन को अनुशंसित करेगा।

## 6. High Powered Committee (उच्च स्तरीय समिति)

*उच्च स्तरीय समिति*

(1) इस अधिनियम के उद्देश्य से एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।

(2) धारा 6.1 के तहत् गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति में अध्यक्ष एवं निम्न सूचित सदस्य होंगे :–

*उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य*

| सदस्य | पदनाम |
|---|---|
| (क) मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| (ख) विकास आयुक्त | सदस्य |
| (ग) प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग | सदस्य |
| (घ) प्रधान सचिव/सचिव,योजना–सह–वित्त विभाग | सदस्य |
| (ड़) निदेशक, उद्योग | सदस्य–सचिव |

(3) यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो "High Powered Committee" संबंधित प्रशासी सचिव अथवा अन्य किसी विभागीय पदाधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकती है।

7. **Functions of High Powered Committee(उच्च स्तरीय समिति के कार्य)** :—

*उच्च स्तरीय समिति के कार्य*

(1) उद्योग सरलीकरण एवं Single Window मंजूरी हेतु उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा एकल खिड़की मंजूरी समिति, एजेंसी, जिला स्तरीय नोडल एजेंसी एवं जिला कार्यकारणी समिति के कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की जाएगी।

(2) समिति शासी निकाय या राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को भी सम्पन्न करेगी।

(3) इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समिति इस अधिनियम अथवा शासी निकाय द्वारा प्रदत्त शक्ति/कार्यों के तहत, Single Window मंजूरी समिति और जिला कार्यकारिणी समिति को अपने कार्य शक्तियाँ प्रदान कर या वापस ले सकती है।

(4) Single Window मंजूरी समिति एवं जिला कार्यकारिणी समिति के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा एवं जहाँ आवश्यक हो, वहाँ आवश्यक अनुशंसा प्रदान करने हेतु कम से कम हर तिमाही में एक बार उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक उस जगह आहूत की जाएगी जिसे समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(5) Single Window मंजूरी समिति के अनुशंसा पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति बड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति देगा। उच्च शक्ति प्राप्त समिति सभी वृहत एवं अति वृहत परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की अनुशंसा शासी निकाय को करेगा।

(6) High Powered Committee, Single Window मंजूरी समिति के CEO द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर विचार कर उचित निर्णय ले सकती है।

(7) यदि आवश्यक हो तो किसी भी मुद्दा/मामला/प्रस्ताव को अपनी अनुशंसाओं एवं सुझावों के साथ समिति शासी निकाय को निर्दिष्ट/संसूचित करेगी।

(8) समिति, राज्य में निवेश और अन्य संबंधित गतिविधियों के संवर्द्धन के लिए जिम्मेदार होगी।

(9) High Powered Committee संबंधित विभाग को विभिन्न प्रचलित अधिनियमों के तहत् दी जाने वाली हर सेवा के लिए समय–सीमा की अनुशंसा करेगी।

(10) High Powered Committee संबंधित विभाग के लिए लागू विभिन्न प्रचलित अधिनियमों के तहत् स्व–प्रमाणन, डीम्ड मंजूरी, निरीक्षणों एवं तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षणों के युक्तिकरण की अनुशंसा करेगी।

**8. Single Window Clearance Committee (एकल खिड़की मंजूरी समिति) :–**

(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एकल खिड़की मंजूरी समिति का गठन किया जाएगा।

(2) धारा 8.1 के तहत् गठित एकल खिड़की मंजूरी समिति में मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) एवं निम्न सूचित सदस्य होंगे :–

| | सदस्य | पदनाम |
|---|---|---|
| (क) | प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग | अध्यक्ष |
| (ख) | प्रधान सचिव / सचिव, योजना–सह–वित्त | सदस्य |
| (ग) | प्रधान सचिव / सचिव, राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार | सदस्य |
| (घ) | प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास एवं आवास | सदस्य |
| (ड.) | प्रधान सचिव / सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण | सदस्य |
| (च) | प्रधान सचिव / सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन | सदस्य |
| (छ) | प्रधान सचिव / सचिव, उर्जा। | सदस्य |
| (ज) | प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन। | सदस्य |
| (झ) | प्रधान सचिव / सचिव, खनन एवं भूतत्व | सदस्य |

(ञ) अध्यक्ष,
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् सदस्य

(ट) निदेशक, उद्योग सदस्य, संयोजक

(3) प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, Single Window मंजूरी समिति के अध्यक्ष होंगे। आवश्यकतानुसार Single Window मंजूरी समिति किसी विभागीय सचिव अथवा अन्य किसी विभागीय पदाधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकती है।

**9. Functions of Single Window Clearance Committee (एकल खिड़की मंजूरी समिति के कार्य) :—**

राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणाधीन रहते हुए

(1) Single Window मंजूरी समिति, उद्यम स्थापना तथा उद्यम संचालन की शुरूआत जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है, के लिए मंजूरियों (को प्रदान करने) की शक्ति का प्रयोग करेगी।

(2) Urban Local Bodies तथा Panchayati Raj Institutions सहित अन्य वैधानिक निकायों में निहित शक्तियों को छोड़कर राज्य सरकार उचित अधिसूचना के माध्यम से यदि ऐसा आवश्यक हो तो, किन्हीं अन्य शक्तियों को इसको (समिति को) हस्तांतरित कर सकती है।

(3) SWCC द्वारा शक्तियों का हस्तांतरण मंजूरियों एवं स्वीकृतियों की अवस्था तक किया जा सकता है। तदोपरांत सभी मंजूरियों एवं स्वीकृतियाँ संबंधित उचित प्राधिकार द्वारा जारी किए जायेंगे।

(4) MSME परियोजनाओं हेतु वित्तीय प्रोत्साहन (Incentives) का अनुमोदन समिति द्वारा किया जाएगा तथा MSME के अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए अनुमोदन हेतु समिति, उच्च शक्ति प्राप्त समिति को अनुशंसा भेजेगी।

**10. Officers/Employees of the Agency (एजेंसी के पदाधिकारी/कर्मचारी) :—**

(1) विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को संबंधित प्रशासी विभाग/संगठन द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर एजेंसी में नियुक्त किया जाएगा., इनमें शामिल हैं :—

(क) झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् का एक पदाधिकारी, जो मुख्य अभियंता के पद से नीचे का ना हो।

(ख) नगर विकास एवं आवास विभाग का एक पदाधिकारी, जो मुख्य नगर प्लानर के पद से नीचे का ना हो।

(ग) श्रम विभाग का एक पदाधिकारी, जो संयुक्त श्रमायुक्त के पद से नीचे का ना हो।

(घ) वाणिज्य–कर विभाग का एक पदाधिकारी, जो संयुक्त वाणिज्यकर आयुक्त के पद से नीचे का ना हो।

(ड. ) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग का एक पदाधिकारी, जो मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का ना हो।

(च) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का एक पदाधिकारी, जो मुख्य अभियंता के पद से नीचे का ना हो।

(छ) राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का एक पदाधिकारी, जो निदेशक, भूमि अर्जन के पद से नीचे का ना हो।

(ज) खनन् विभाग का एक पदाधिकारी, जो अपर निदेशक, खनन के पद से नीचे का ना हो।

(2) यदि विभाग/संगठन उप–धारा–1 में वर्णित श्रेणी/पद के पदाधिकारी देने में असमर्थ हो तो, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, एजेंसी में अपनी प्रतिनियुक्ति तक, उप–धारा–1 में वर्णित पद के पदाधिकारी के समान माने जायेंगे, परन्तु इससे वे किसी अतिरिक्त वित्तीय लाभ के अधिकारी नहीं होंगे।

(3) सभी नियामक विभाग, जो अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करते हैं, उद्यम स्थापना और उद्यम संचालन शुरू करने के लिए सारी नई परियोजनों को समय–सीमा के अंदर स्वीकृति प्रदान करने के लिए JIIDCO में प्रतिनियुक्त अपने वरीय पदाधिकारी को अधिसूचना द्वारा सशक्त करेंगे। ऐसी अधिसूचना जारी होने तक प्रतिनियुक्त पदाधिकारी समय–सीमा के भीतर ऐसी मंजूरियों के आवेदनों के निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

(4) SWCC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एजेंसी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के ऊपर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग करेगा, परन्तु धारा–1 में वर्णित पदाधिकारी जिनकी सेवाएँ प्रतिनियुक्ति के आधार पर एजेंसी में पदस्थापन की गई अपने मूल विभाग/संगठन में अपने संवर्ग के संबद्ध नियम और विनियम द्वारा शासित होंगे।

(5) एजेंसी, अनुबन्ध या आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस अधिनियम के तहत् उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु अन्य कर्मियों की आवश्यकता को पूरी करेगी।

**11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के कार्य :–**

*मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य*

(1) CEO उद्योग विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के प्रभार में भी होंगे।

(2) CEO समय–समय पर राज्य में लगाए जाने वाली औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाओं के संबंध में किसी उद्यमी से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा उन पर विचार एवं उनपर कार्रवाई करेंगे।

(3) Governing Body (शासी निकाय) "High Powered Committee"एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा दिये गए शक्तियों/कार्यों का प्रयोग CEO द्वारा किया जाएगा।

(4) CEO राज्य में निवेश अन्य संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी प्रयासों का समन्वय करेगा।

(5) CEO सभी दस्तावेजों, अनुमोदनों एवं SWCC द्वारा जारी निदेशों या अनुदानों के आवंटन पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम अधिकारी (प्राधिकार) होगा।

(6) CEO किसी मामला/मुद्दा/प्रस्ताव को अपनी अनुशंसाओं एवं सुझावों, यदि वह आवश्यक समझें को, "High Powered Committee" को निर्दिष्ट करेगा।

(7) CEO विभिन्न परियोजनाओं में SWCC द्वारा दिये गए अनुमोदन की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगा।

(8) CEO, Governing Body (शासी निकाय) एवं "High Powered Committee" (उच्च शक्ति प्राप्त समिति) के लिए मासिक, तिमाही एवं अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट बनाने एवं प्रस्तुति के लिए जिम्मेवार होगा।

(9) CEO निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लागू करने के लिए एवं अनुमोदन/मंजूरी देने के लिए JIIDCO में प्रतिनियुक्त विभागों के विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से सभी विभागों से समन्वय करेगा।

(10) CEO निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लागू करने के लिए एवं अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करने के लिए सभी विभाग/प्राधिकार/कार्यालय जिन्होंने अपने पदाधिकारियों को JIIDCO में प्रतिनियुक्त नहीं किया से समन्वय करेगा।

(11) CEO राज्य में उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को सभी तरह के आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

(12) CEO, JIIDCO द्वारा अनुरक्षित एवं संचालित, Single Window मंजूरी के वेब–पोर्टल के कार्यों की अनुश्रवण, समीक्षा एवं मूल्यांकन करेगा।

**12. <u>जिला कार्यकारिणी समिति (District Executive Committee)</u>**

*जिला कार्यकारिणी समिति*

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जिला स्तर पर एक समिति का गठन कर सकता है जो **"जिला कार्यकारिणी समिति (DEC)"** कही जाएगी।

(2) धारा 12.1 के तहत् गठित जिला कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष एवं निम्नसूचित सदस्य होंगे :–

*जिला कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य*

| | **सदस्य** | **पदनाम** |
|---|---|---|
| (क) | जिला उपायुक्त | अध्यक्ष |
| (ख) | जिला वाणिज्यकर उपायुक्त | सदस्य |
| (ग) | क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद | सदस्य |
| (घ) | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र | सदस्य सचिव |
| (ङ.) | जिला योजना पदाधिकारी | सदस्य |
| (च) | श्रम विभाग के जिला पदाधिकारी | सदस्य |
| (छ) | जिले के संबंधित बिजली वितरण कम्पनी जिसके अन्तर्गत जिला आता हो के कार्यपालक अभियंता | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| (ज) | जिला खनन पदाधिकारी | सदस्य |
| (झ) | प्रमंडल वन अधिकारी | सदस्य |

**13. <u>जिला कार्यकारिणी समिति के कार्य</u> (Functions of District Executive Committee)**

*जिला कार्यकारिणी समिति के कार्य*

(1) इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, जिला कार्यकारिणी समिति नियमित रूप से जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के काम–काज का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करेगी।

(2) धारा–7 के तहत् यह समिति "High Powered Committee" (उच्च शक्ति प्राप्त समिति) द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का सम्पादन करेगी।

(3) इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समिति इस अधिनियम अथवा उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा प्रदत्त शक्ति/कार्यों के तहत जिला स्तरीय नोडल एजेंसी को कार्य/शक्तियाँ प्रदान कर या वापस ले सकती है।

(4) अपने (जिला कार्यकारिणी समिति के) कार्यों (कार्य प्रदर्शन)की समीक्षा एवं जहाँ आवश्यक हो, वहाँ आवश्यक अनुशंसा प्रदान करने हेतु कम–से कम महीने में एक बार जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक उस जगह आहूत की जाएगी जिसे समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(5) जिला कार्यकारिणी समिति, जिला स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर विचार कर उचित निर्णय ले सकती है।

(6) यदि ऐसा आवश्यक हो तो किसी भी मामला/मुद्दा/प्रस्ताव को अपनी अनुशंसाओं एवं सुझावों के साथ, समिति, उद्योग विभाग को भेजेगी।

(7) जिला कार्यकारिणी समिति का एक सदस्य व्यक्तिगत रूप से इसकी बैठक में हिस्सा लेगा और यदि वह बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो एक वरीय अधिकारी को बैठक में उचित निर्णय लेने हेतु लिखित प्राधिकृत पत्र देकर प्रतिनियुक्त करेगा।

(8) समिति जिला में उद्योगों के प्रोत्साहन एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगी।

(9) जिला कार्यकारिणी समिति, प्रगति रिपोर्ट बनाने एवं उसे जिला योजना समिति को सौंपने के लिए जिम्मेदार होगी

**14. जिला स्तरीय नोडल एजेंसी (District Level Nodal Agency)**

*जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी*

जिला उद्योग केन्द्र एजेंसी एवं जिला कार्यकारिणी समिति का जिला स्तरीय नोडल एजेंसी होगा।

**15. जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के कार्य (Functions of District Level Nodal Agency)**

*जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी के कार्य*

(1) यह जिले में निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों में सहायता प्रदान करेगी ।

(2) यह जिले में उद्यमियों को उनके निवेश एवं उनकी परियोजनाओं या औद्योगिक इकाईयों की स्थापना में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

(3) यह उद्यमियों को आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराने एवं उद्यमियों से भरा हुआ प्रपत्र प्राप्त करने जहाँ कही भी अधिकृत हो सहित विविध मंजूरियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा और विभागों एवं प्राधिकारों से आवश्यक मंजूरी को नियत समय में उद्यमियों के लिए सुगम करेगा।

(4) यह कार्यकारिणी समिति एवम् जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपी गई और राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर अधिसूचना के माध्यम से प्रत्यायोजित शक्ति/कार्यों का प्रयोग करेगा।

**16. अनुमान्य मंजूरियाँ (Eligible Clearances)**

*अनुमान्य मंजूरियाँ*

(1) सभी प्रस्तावित या मौजुद निवेश, जिसमें एक या अधिक प्रचलित/लागू अधिनियमों के अंतर्गत मंजूरी की आवश्यकता हो, एकल खिड़की मंजूरी वेब–पोर्टल के माध्यम से सुविधा प्राप्ति के पात्र होंगे जब कभी वेब–पोर्टल पर संबंधित प्रचलित अधिनियम के तहत मंजूरी की सुविधा होगी।

(2) उप–धारा–1 में सुगमित मंजूरियों के अतिरिक्त सभी मंजूरियों के संबंध में एजेंसी में नियुक्त अधिकारी सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियम समय–सीमा के भीतर मंजूरी प्रदान करने की कार्रवाई करेगा।

**17. समझौता ज्ञापन (Memorandum Of Understanding)**

*समझौता ज्ञापन*

(1) SWCC के CEO औद्योगिक नीति के तहत् वृहत उद्योगों के लिए एवं वैसे मामले जिनमें सरकार द्वारा विशेष निर्देश प्राप्त हुआ हो, के समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करेंगे।

(2) वृहत उद्योगों के निमित समझौता ज्ञापन पर SWCC के CEO उच्च शक्ति प्राप्त समिति के पूर्वानुमति के पश्चात् हस्ताक्षर करेंगे।

18. **वेब–पोर्टल (Web-Portal)**

*वेब पोर्टल*

विभिन्न प्रचलित/लागू अधिनियमों एवं समय–समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत् सभी मंजूरियों के Single Window मंजूरी हेतु वेब –पोर्टल का अनुरक्षण एवं संचालन करेगी।

19. **एकीकृत आवेदन प्रपत्र (CAF)**

*एकीकृत आवेदन प्रपत्र*

(1) प्रचलित अधिनियमों एवं समय–समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत् निर्धारित वर्तमान आवेदन प्रपत्र की जगह एक एकीकृत आवेदन प्रपत्र को सशुल्क जारी किया जाएगा। सभी सक्षम प्राधिकार ऐसे प्रपत्र (Combined Application Form) को कार्रवाई हेतु स्वीकार करके आवश्यक मंजूरी प्रदान करेंगे।

(2) वशर्त्ते कि जहाँ कोई आवेदन प्रपत्र एवं शुल्क ऐसी मंजूरियों के लिए केन्द्रीय अधिनियमों में प्रावधानित हो, आवेदन उसी प्रपत्र में एवं उसी शुल्क के साथ जमा किया जाएगा जिस शुल्क के साथ जमा किया जाना है।

20. **स्व–प्रमाणन (Self-Certification)**

*स्व–प्रमाणन*

(1) प्रत्येक उद्यमी को पूरी तरह से तैयार CAF को जमा करते समय विहित प्रपत्र में एक स्वप्रमाणन प्रस्तुत करना होगा और उसके बाद सक्षम प्राधिकार के समक्ष विहित समय–सीमा के भीतर स्वप्रमाणित करना होगा कि वह प्रचलित अधिनियमों के लागू प्रावधानों एवं उसके तहत् बने नियमों का अनुपालन करेगा।

(2) उद्यमी द्वारा उप–धारा–1 के तहत् प्रस्तुत स्व–प्रमाणन को समक्ष प्राधिकार द्वारा उद्यमियों को अनुदान एवं मंजूरी प्रदान करने एवं अन्य लाभ देने के उद्देश्य से स्वीकार किया जाएगा।

21. **निरीक्षणों की युक्तियुक्तता (Rationalistion of Inspections)**

*निरीक्षणों की युक्तियुक्तता*

(1) प्रचलित अधिनियमों या विविध स्तर के प्राधिकारों के नियमों के प्रावधानों के तहत् निरीक्षण श्रमायुक्त कार्यालय एवं झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् और अन्य द्वारा वर्ष में एक बार किया जाएगा।

(2) विभाग जोखिम आधारित मूल्यांकन, जैसा कि अपने–अपने नियमों/उप नियमों में विहित है के आधार पर निरीक्षण करेगा, परन्तु विशेष शिकायत के विरूद्व निरीक्षण विभागीय प्रमुख की लिखित अनुमति के पश्चात् किया जा सकता है।

*तृतीय पक्ष निरीक्षण*

## 22. तृतीय पक्ष निरीक्षण (Third Party Inspections)

प्रचलित अधिनियमों या विभिन्न राज्य प्राधिकारों के नियमों के प्रावधानों के तहत् निरीक्षण जहाँ लागू होता हो, सक्षम प्राधिकारों के Empanelment तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों द्वारा विहित किया जा सकता है। तृतीय पक्ष निरीक्षण रिपोर्ट को ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जा सकता है, में प्रस्तुत किया जायेगा।

*निस्तार की प्रक्रिया*

## 23. निस्तारण की प्रक्रिया (Procedure for Disposal)

(1) मंजूरियों के लिए जमा आवेदनों का निस्तारण उस प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा जैसा कि विहित किया जा सकता है।

(2) उप–धारा–1 में निर्दिष्ट आवेदनों का निस्तारण निर्धारित/विहित समय अवधि के अंदर किया जायेगा।

(3) मंजूरियाँ प्रदान करते समय उपयुक्त प्राधिकार आवेदक से अतिरिक्त सूचनाओं की मांग कर सकता है।

(4) वशर्त्ते कि अतिरिक्त सूचना सक्षम प्राधिकार द्वारा ऐसी मंजूरियां के लिए निर्धारित समयावधि के अन्दर मांगा जाएगा।

(5) पुनः वशर्त्ते कि अतिरिक्त सूचनाएँ केवल एक बार मांगी जायेगी।

(6) यदि उपयुक्त प्राधिकार द्वारा आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना नहीं मांगी जाती है तो वह (प्राधिकार) निर्धारित समय–सीमा के समाप्ति के पहले मंजूरियों के संदर्भ में आवेदन पर आदेशों को निर्गत करेगा।

(7) मंजूरियों के लिए अतिरिक्त सूचना मांगे जाने के मामले में आवेदन को निर्धारित समयावधि जो अतिरिक्त सूचना प्राप्ति तिथि से गिनी जाएगी के भीतर निस्तारण किया जायेगा।

**24. डीम्ड स्वीकृति (Deemed Approval)** *डीम्ड स्वीकृति*

सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर मंजूरी नहीं दिये जाने या अन्तिम आदेश जारी नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित मंजूरियों को डीम्ड स्वीकृति माना जाएगा।

**25. अपील (Appeals)** *अपील*

(1) जिला कार्यकारिणी समिति, जिला स्तरीय नोडल एजेंसी और एजेंसी द्वारा परियोजना को रद्द किये जाने के निर्णय या कोई अन्य शिकायत से पीड़ित उद्यमी समिति के निर्णय की सूचना प्राप्ति तिथि के 30 दिन के अन्दर Single Window मंजूरी समिति से जैसा कि विहित हो सकता है (प्रथम अपील कर सकता है)। Single Window मंजूरी समिति के आदेश के विरूद्ध अपील उच्च शक्ति प्राप्त समिति के पास होंगे।

(2) High Powered Committee के आदेश के विरूद्ध प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग के माध्यम से द्वितीय अपील शासी निकाय के समक्ष किया जाएगा और इस अधिनियम के तहत् शासी निकाय का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्य होगा।

(3) विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए, अपीलीय प्राधिकार अपील प्राप्ति के एक माह के अन्दर या समिति के आगामी बैठक जो बाद में हो अपील का निष्पादन करेगा।

**26. शुल्क (Fee)** *शुल्क*

आवेदकों द्वारा एकीकृत आवेदन प्रपत्र (CAF) या अन्य प्रपत्र में जो लागू अधिनियम या नियमों के तहत् शुल्क, जो विहित हो के साथ हो, ऐसे मंजूरियों के आवेदन जमा किए जायेंगे।

**27. नियम बनाने की शक्ति (Power to Make Rules)** *नियम बनाने की शक्ति*

(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति होगी।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मंजूरियों से संबंधित इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के कार्यान्वयन को यदि यह इसे लोकहित में आवश्यक समझती हो तो शिथिल कर सकती है।

(3) इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को सत्राधीन झारखण्ड विधान सभा के समक्ष तुरंत रखा जाएगा, और यदि विधान सभा सत्राधीन न हो तो ऐसे नियम को अधिसूचित होने की तिथि के तुरंत बाद वाले सत्र में रखा जाएगा।

**28. अभिभावी प्रभाव (Overriding effect)**

*अभिभावी प्रभाव*

इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधानित को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधान, राज्य के कोई अन्य उस समय लागू कानून (नियम) में निहित किसी असंगति के बावजूद भी प्रभावी होंगे।

वशर्ते कि जुर्माना, दण्ड, शुल्क और अन्य समान प्रावधान यदि प्रचलित अधिनियम के तहत् कोई हो तो, लागू अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लगाए जायेंगे और विहित तरीके से जमा किए जायेंगे।

**29. गत्यारोध के निराकरण की शक्ति (Power to remove difficulties)**

*गत्यारोध के निराकरण की शक्ति*

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के क्रम में किसी प्रकार के गत्यारोध उत्पन्न होते हैं तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से विसंगत न हो, व जो गत्यारोध को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो, कर सकेगी।

**30. अर्थदण्ड (Penalty)**

*अर्थदण्ड*

(1) किसी एजेंसी या विभाग या उपयुक्त प्राधिकार द्वारा दिये गए स्व–प्रमाणन की शर्त्ते या जिम्मेदारियों का पालन करने में असफल रहने की स्थिति में उद्यमी को प्रथम दोष पर पन्द्रह हजार रूपये तक और दूसरे दोष या उसके बाद के प्रत्येक दोषों पर पच्चीस हजार रूपये तक के दण्ड का सामना करना होगा।

(2) उपयुक्त प्राधिकार, लागू अधिनियम के तहत विहित नियम के अनुसार क़ानून के तहत् उपर्युक्त उप–धारा (1) को प्रभावी बनाने के लिए सक्षम होगा।

(3) अर्थदण्ड अधिरोपित करनेवाला सक्षम प्राधिकार एजेंसी को संसूचित करने के साथ संबंधित उद्यमी को अर्थदण्ड के संबंध में संसूचित करेगा। संसूचन जारी होने की तिथि से तीस दिन के अन्दर, उद्यमी को ऐसे अधिरोपित राशि को एजेंसी के पास जमा करना होगा।

(4) राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से अर्थदण्ड की राशि को परिवर्त्तित कर सकती है।

31. **सद्‌भाव कृत कार्रवाई का अभिरक्षण** **<u>(Protection of action taken in good faith)</u>** *सद्‌भाव कृत कार्रवाई का अभिरक्षण*

Governing Body (शासी निकाय) एवं "High Powered Committee" (उच्च शक्ति प्राप्त समिति) अथवा Single Window मंजूरी समिति या जिला कार्यकारिणी समिति या एजेंसी या जिला स्तरीय नोडल एजेंसी से अध्यक्ष या अन्य सदस्य या ऐसे समिति के कोर कर्मी के द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत् बने किसी नियम के अन्तर्गत सद्‌भाव कृत कार्रवाई के विशिष्ट को याचिका या विधिक कार्यवाही नहीं लायी जा सकेगी।

यह विधेयक झारखण्ड सिंगल विंडो क्लीयरेंस विधेयक, 2015 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 65--50--18-1-2016 ।